संख्या-24/2018/क0नि0-4-589 /11-2018-300(35)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2018**

विषयः- डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के जेम पोर्टल से क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या आई0टी0/डाटा एनालिसिस सेल/(2018 -19)/ 84/वाणिज्य कर, दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में तथा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07 मई, 2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 10 मई, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में एस0ए0एस0 डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के क्रय और उसके क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ मैनपावर की व्यवस्था हेतु क्रमशः रू0-09.00 करोड़ (रूपये-नौ करोड़ मात्र) तथा रू0-03.00 करोड़ (रूपये-तीन करोड़ मात्र) कुल धनराशि रू0-12.00 करोड़ (रूपये-बारह करोड़ मात्र) के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्त के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

"उक्त सॉफ्टवेयर क्रय करते समय कमिश्नर, वाणिज्य कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि **जेम पोर्टल** पर उपलब्ध दरें अन्य राज्यों द्वारा खुली निविदा/अन्य स्रोत से क्रय सॉफ्टवेयर से तुलनात्मक रूप से उचित हैं।"

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19 के अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय तथा लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-24/2018/क0नि0-4-589 (i)/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in